कोटा–बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015& ISO22000:2018 (FSMS) Certified Dairy
सरस
रजिस्ट्रेशन संख्या:1875 R GST: 08AABAK2482L1ZE FSSAI License No.10012013000248
E-mail: ktamu-rj@nic.in, kotadairy@yahoo.co.in Customer Care/Help Line: 9829891599

सन्दर्भ: KD/23-24/F.SECURITY/ 19762-70 दिनांक: 23.02.2024

ई–निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा कोटा दुग्ध संघ एवं प्लांट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु PSAR ACT 2005 के अन्तर्गत महा निरीक्षक होम गार्ड एवं नियंत्रण अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी हेतु जारी लाईसेन्स प्राप्त एवं सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसाय में कार्यरत है तथा जिनके पास भविष्य निधि संगठन, ई.एस.आई. विभाग एवं जी.एस.टी. इत्यादि विभाग से विधिवत लाईसेन्स प्राप्त है, से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन निविदायें, दो भागों में (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा, निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है।

निविदा कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	निविदा शुल्क (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)	ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये)	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक/समय	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक/समय	निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अतिम दिनांक/समय	ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक/समय
100.00	1180	200000	1000	25.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से	04.03.2024 सॉय 4.00 बजे तक	05.03.2024 सॉय 4.00 बजे तक	06.03.2024 को सॉय 1.00 बजे

निविदा की विस्तृत जानकारी http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

निविदा के साथ धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क बजरिये अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि **कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा** के पक्ष मे देय होगा एवं ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि MD RISL, Jaipur के नाम देय होगा, संघ कार्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

किसी भी/समस्त निद्राओं को बिना कराण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अन्य किसी जानकारी के लिए श्रीमति शीला शर्मा, 94605 69847 से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोटः

01 निविदा फार्म मय शर्तों सहित ऑन–लाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा सूचना में दर्शाये अनुसार डाऊनलोड तथा निविदा प्रपत्र को भरकर मय डिमाण्ड ड्राफ्ट वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जा सकता है।

02 निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

03 इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

(कृ. प. उ.)

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा — 324 010
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

04 निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन इन्फोरर्मशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जोकि इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आएगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी (NIC or safecrypt का msapplitechtendercity.com (India) Pvt. Ltd.) से प्राप्त कर सकते है जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि:

01 प्रभारी सयंत्र/प्रभारी (पी एण्ड आई)/लेखाधिकारी/प्रभारी (क्रय)/प्रभारी (गुण नियंत्रण)/ प्रभारी (एम.आई.एस.), कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

02 प्रभारी विज्ञापन } को भेज कर लेख है कि निविदा सूचना नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

03 सूचना पट्ट, कोटा कार्यालय

04 कार्यालय पत्रावली/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	:	KD/23-24/F.SECURITY/ दिनांक 24.02.2024
निविदा कार्य का विवरण	:	कोटा डेयरी संयंत्र पर सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य
निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक / समय	:	25.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से 03.03.2024 दोपहर 4.00 बजे तक
तकनीकी एवं वित्तीय निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक / समय	:	दिनांक 04.03.2024 साँय 4.00 बजे तक
निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क कार्यालय में जमा कराने की अतिंम दिनांक / समय	:	दिनांक 05.03.2024 साँय 4.00 बजे तक
तकनीकी ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	दिनांक 06.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे
वित्तीय ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	पृथक से अवगत कराया जाएगा

निविदा शुल्क का विवरण	रुपये	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम
निविदा शुल्क	1180			
ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क	1000			
अमानत राशि	2,00,000			

तकनीकी निविदा के साथ निम्न पत्रदि की प्रतियाँ अपलोड करें:		नम्बर	दिनांक
01	फर्म का नाम		
02	फर्म / एजेन्सी / कम्पनी की स्थिति में निविदा सम्बन्धी कार्य के लिए हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार पत्र		
03	PSAR ACT 2005 के अन्तर्गत महा निरीक्षक होम गार्ड एवं नियंत्रण अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा फर्म / एजेन्सी / कम्पनी को प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी हेतु जारी लाईसेन्स की सत्यापित प्रति		
04	सहकारिता विभाग द्वारा जारी समिति के रजिस्ट्रेशन की प्रति		
05	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 प्रपत्र 3 की प्रति		
06	श्रम विभाग का प्रमाण पत्र एवं लेबर लाईसेन्स		
07	पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के पी.एफ. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।		
08	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के ई.एस. आई. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।		
09	फर्म / एजेन्सी / कम्पनी का आयकर PAN. No		
10	फर्म / एजेन्सी / कम्पनी का GST No.		
11	फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 (कर निर्धारण वर्ष 2023–24) के लिए आय कर विभाग में दाखिल की गई आयकर रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट की प्रति तथा फर्म के अंकेक्षित खातों की प्रति जिसमें वर्ष के दौरान फर्म का टर्न ओवर कम से कम 5.00 करोड रुपये होना चाहिए।		

हस्ताक्षर निविदादाता

तकनीकी निविदा के साथ निम्न पत्रदि की प्रतियाँ अपलोड करें:		नम्बर	दिनांक
12	फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को डेयरी/सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायतशाषी संस्था मे कार्य करने का कम से कम छः वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र/कार्यादेश सलंग्न करें)		
13	संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।		
14	निविदादाता को पुलिस अधीक्षक से जारी चरित्र प्रमाण पत्र जोकि छः माह से अधिक पुराना नहीं हो संलग्न करें।		
15	बैंक गारन्टी/हैसियत आय प्रमाण पत्र		
16	हस्ताक्षरित शर्ते		

उपरोक्त समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

नोटः

फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आवश्यकतानुसार केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही नियोजित करना होगा। विशेष परिस्थितिवश प्रबन्धन की पूर्व अनुमति से केवल कुछ जगह पर सिविल गार्ड लगाने की अनुमति सीमित समय के लिए दी जा सकेगी। परन्तु सिविल गार्ड को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार कुशल श्रमिक का वेतन देय होगा।

घोषणा

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... घोषणा करता हूँ कि मैं तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अधिकृत हूँ, उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सही हैं, मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ/सुन/एवं समझ लिया हैं तथा इनका पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ। तकनीकी निविदा में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर मैं धरोहर राशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर बिना उज्र वापस प्राप्त करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारे फर्म को राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं की गई हैं। यदि निविदा स्वीकृत होने या अनुबन्ध होने के बाद हमारे फर्म को ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो हमारे निविदा/अनुबन्ध तत्काल को निरस्त कर अमानत राशि जब्त करने का अधिकार संघ को होगा।

पूर्ण हस्ताक्षर निविदादाता..

नाम..

पता...

....फोन नम्बर ....

ई–मेल...

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in
सरस

निविदा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश

यह निविदा प्रपत्र दो भागों तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।

निविदादाता से अपेक्षा की जार्ती है कि निविदा प्रपत्र को डाऊनलोड कर पूर्ण अध्ययन करें एवं तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा में चाही गई जानकारी यथा स्थान पर पूर्ण करें। सम्पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र मय वाँछित दस्तावेज/ड्राफ्ट को स्केन कर निर्धारित साईट पर अपलोड करें।

निविदा सूचना में चाहे गए शुल्क के अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट बन्द लिफाफे में कोटा दुग्ध संघ के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक आवश्यक रूप से जमा करा कर रसीद प्राप्त कर लेवें। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

यदि तकनीकी निविदा में कोई निविदादाता निविदा फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निविदा समिति तत्काल निविदा निरस्त कर उसका बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर लौटा देगी। इसमें पूर्ण अधिकार निविदा समिति का सुरक्षित होगा तथा कोई भी निविदादाता समिति के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकारी नहीं होगा।

निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc. Rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा ुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त दर्शाई वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ऑनलाईन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी। अगर उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले दिन निश्चित समय पर खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणवश यदि निविदायें खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो निविदादाता को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।

कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकी डिफाल्ट के कारण यदि साईट पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपलोड नहीं हो पाता है या अन्य किसी कारण से बिड अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तो का विवरण भली प्रकार पढ एवं समझ लेना चाहिए तथा नियमों की स्वीकृति स्वरूप शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अन्त में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एंव फर्म की सील लगानी चाहिए। अन्यथा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा तथा तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। वाँछित दस्तावेजों के अभाव में निविदायें अमान्य होगी। अमानत राशि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी।

संघ के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत करने या अनुबन्ध होने के बाद निविदादाता की ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो निविदा/अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी और निविदादा/अनुबन्धकर्ता इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

निविदा प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

01 निविदादाता फर्म का Assessed Turnover कम से कम पाँच करोड रुपये वार्षिक होना चाहिए। इसके लिए निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग में वर्ष 2022–23 (कर निर्धारण वर्ष 2023–24) हेतु दाखिल की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसमें वर्ष का टर्न ओवर पाँच करोड या इससे अधिक अंकित हो अपलोड करना चाहिए। साथ ही Chartered Accountant से प्रमाणित Balance Sheet की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।

01 मानव श्रम नियोजन से सम्बन्धित कार्यों में एक फर्म को एक से अधिक कार्यों का ठेका नहीं दिया जाएगा। जो निविदादाता वर्तमान में संघ में सिटी सप्लाई परिवहन, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समितियों से केन दुग्ध परिवहन, सरस दुग्ध उत्पादों के वितरक, घी भण्डारण हेतु गोदाम तथा पशु आहार स्टोर पर किसी भी कार्य अनुबंध के अन्तर्गत कार्य कर रहे वे निविदा भरने के लिए पात्र नहीं होगा तथा संघ के कारोबार (दुग्ध, दुग्ध उत्पाद व पशुआहार) के समान कार्य करने वाले प्रतिस्पर्धी फर्म निविदा मे भाग नही ले सकेगी एवं जो फर्मे वर्तमान में कोटा डेयरी प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था या जॉब वर्क के कार्यों में अनुबन्धित है तथा जिनकी अनुबन्ध अवधि 6 माह या अधिक बकाया है वे फर्मे भी निविदा प्रस्तुत करने की पात्र नही मानी जावेगी।

02 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिंवार्य है कि वह फर्म/एजेन्सी/कम्पनी मे हैसियत (पद नाम) अंकित करना होगा।

03 **वित्तीय निविदा (BOQ Excel Sheet) में केवल फर्म का नाम एवं मार्जिन दर प्रतिशत में उल्लेख करना होगा। निविदादाता की दर 04 प्रतिशत सर्विस चार्ज से अधिक होने पर ही निविदा स्वीकृत की जावेगी। 04 प्रतिशत सर्विस चार्ज तक की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।**

04 स्त्रोत पर आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं निर्धारित प्रमाण पत्र ठेकेदार को उपलब्ध कराया जावेगा।

05 **दी हुई निविदा छः माह तक वैद्य होगी।** निविदा खोले जाने के बाद संघ की सम्पत्ति होगी व निविदादाता का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा व अशुद्धी सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा।

06 फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को डेयरी उद्योग/सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायतशाषी संस्था मे कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है जिसके लिए सम्बन्धित संस्था का प्रमाण पत्र/कार्यादेश सलंग्न करना आवश्यक हैं।

07 संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

08 वित्तीय निविदा उसी निविदादाता का खोली जाएगी जो तकनीकी मापदण्डों पर उपयुक्त पाया जाएगी। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोला जाएगी और धरोहर राशि का ड्राफ्ट सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को लौटा दिया जाएगा या डाक से भिजवा दिया जाएगा।

09 तकनीकी मापदण्डों पर उपयुक्त पाये अस्वीकृत निविदाओं की जमा अमानत राशि अधिकतम 6 माह में निविदादाता को रेखांकित चैक द्वारा लौटा दी जाएगी। इस हेतु निविदादाता को मूल जमा रसीद के साथ आवेदन करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

10 किसी भी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने या निविदायें भागों में भी स्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

11 स्वीकृत निविदादाता को मूल दस्तावेज माँगने पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य आदेश मिलने के **सात दिनों में कार्य प्रारम्भ** करना होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहने पर उसकी जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

12 प्रबन्ध संचालक, कोटा दुग्ध संघ अनुबन्ध अवधि के दौरान 7 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त अथवा निलम्बित/बहाल कर सकेगा। अनुबन्ध/ठेका निलम्बन अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

13 संघ मे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के निकटतम सदस्य (स्वयं, पत्नि, आश्रित पुत्र एवं पुत्रवधु) निविदा मे भाग नही ले सकेगे।

14 निविदाकर्ता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड, न्यायालय से घोषित अपराधी/दीवालिया करार घोषित नही होना चाहिये।

15 अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/संस्था/व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नही कर सकेगा जो कि संघ के हित मे नही हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

16 ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में/कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में/अनुशासन भंग करने की स्थिति में अथवा अन्य किसी रूप से अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध संचालक को अवधि से पूर्व ही ठेका निरस्त करने, अमानत राशि जब्त करने एवं हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17 निविदा में न्यूनतम दर होने से ही कोई निविदादाता ठेका आवंटन का अधिकारी नहीं होगा। अन्तिम निर्णय निविदादाता की पृष्ठ भूमि, अनुभव, टर्न आवेर तथा वर्तमान कार्य एवं उपलब्ध सुरक्षा गार्ड की सूची आदि के आधार पर किया जावेगा जिसके लिए संघ प्रशासन निविदादाता को जवाब देय नहीं होगा। संघ को नेगोशियेशन करने का भी अधिकार होगा।

18 दुग्ध संघ औद्योगिक संस्था है, अतः संघ के नित प्रतिदिन, सेवा प्रदाता कार्यों के संचालन हेतु अनुबन्धकर्ता का संघ परिसर में उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण निविदादाता का राजस्थान राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। इससे की संघ को कार्य निष्पादन में बाधा नहीं आवें।

19 दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर मध्यस्थ प्रशासक या अध्यक्ष, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटा का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

20 बैंक गारन्टी/हैसियत आय प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि 50 लाख रुपये जिला कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

21 सफल निविदादाता को दुग्ध संघ का "स" श्रेणी का सदस्य बनना होगा ।

22 समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

सुरक्षा ठेके सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1.1 केवल PSAR ACT 2005 के अन्तर्गत महा निरीक्षक होम गार्ड एवं नियंत्रण अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी हेतु जारी लाईसेन्स प्राप्त एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियाँ जो कि सहकारी विभाग में पंजीकृत है तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसाय में कार्यरत है को ही सुरक्षा कार्य हेतु अनुबन्धित किया जाएगा।

1.2 फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को आवश्यकतानुसार केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही नियोजित करना होगा।

1.3 **विशेष परिस्थितिवश प्रबन्धन की पूर्व अनुमति से केवल कुछ जगह पर सिविल गार्ड लगाने की अनुमति सीमित समय के लिए दी जा सकेगी। परन्तु सिविल गार्ड को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार कुशल श्रमिक का वेतन देय होगा।**

1.4 फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का चयन उसकी पृष्ठभूमि, अनुभव, टर्न ओवर तथा वर्तमान कार्यों एवं उपलब्ध सुरक्षा कार्मिकों की सूची के आधार पर किया जावेगा।

1.5 फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की स्थिति में फर्म को निविदा सम्बन्धी कार्य के लिए हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार पत्र की मूल प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

1.6 निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को निविदा के नियम एवं शर्तें एवं प्रक्रिया को अच्छी तरह पढ एवं समझ लेना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।

1.7 अधिकृत प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र बाल पाईन्ट पेन से साफ एवं स्पष्ट शब्दों में भरें। कटिंग एवं ओवर राईटिंग पर अपने लघु हस्ताक्षर अंकित करें। अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखी इबारत ही मान्य होगी।

1.8 निविदा डालने के बाद निविदा प्रपत्र संघ की सम्पत्ति होगी व अनुबन्धकर्ता का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा व अशुद्धी सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा।

1.9 निविदादाता को पूर्ण रूप से भरी हुई तकनीकी निविदा एवं निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार अलग अलग **पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि./एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम से देय हो निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा तथा मूल निविदा प्रपत्र मय पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट निविदा फर्म में अंकित दिनांक एवं समय तक कार्यालय में जमा कराना होगा।** तकनीकी निविदा के साथ वाँछित पे ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट निर्धारित साईट पर अपलोड नहीं होने अथवा मूल प्रति कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के साथ संलग्न ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर संख्या, दिनांक एवं बैंक का नाम निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित करें। संघ में पेन्डिगं बिल, पूर्व क्लेम को अमानत राशि में समायोजन नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

1.10 सर्व प्रथम फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की तकनीकी निविदा खोली जाएगी तथा तकनीकी रूप से समस्त औपचारिकतायें एवं प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं एम.डी. आर.आई.एस.एल. को देय निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का ड्राफ्ट निर्धारित साईट पर अपलोड कर मूल ड्राफ्ट मय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी निधारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में प्राप्त होने पर ही फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की ओनलाईन वित्तीय निविदा खोली जाएगी। जो निविदायें तकनीकी रूप से सक्षम नहीं पाई जाएगी उनकी अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के प्रतिनिधि को लौटा दिया जाएगा या डाक से भिजवा दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में टेण्डर कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं सभी को स्वीकार्य होगा तथा टेण्डर कमेटी अस्वीकृति हेतु कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी।

1.11 निविदा के साथ अमानत के रूप में राशि रुपये 2,00,000/– बजरिये पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से देय हो तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य करदी जाएगी।

1.12 निविदा में सफल निविदादाता को **कुल रुपये 3,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) की धरोहर राशि** जिसमें निविदा के साथ जमा अमानत राशि समायोजित की जा सकेगी, जमा करानी होगी साथ ही निविदादाता को **तीन लाख रुपये** की राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक गारन्टी जोकि अनुबन्ध समाप्ती के आगे 6: माह तक वैद्य हो प्रस्तुत करनी होगी। संघ में पेन्डिंग बिल, पूर्व क्लेम को अमानत/धरोहर राशि में समायोजन नहीं किया जावेगा एवं बिना धरोहर राशि/बैंक गारन्टी के अनुबन्ध नहीं किया जा सकेगा।

1.13 धरोहर राशि अनुबन्ध अवधि समाप्ति तक संघ में जमा रहेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.14 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षा गार्ड का वेतन भुगतान किया जाएगा। वर्तमान दरें एवं नियोजित सुरक्षा कर्मियों की संख्या निम्न प्रकार है:

क्रम	मद	वर्तमान नियोजित सुरक्षा कर्मियों की संख्या	संघ द्वारा वर्तमान मे देय सुरक्षा कर्मियों को दिये जा रहे वेतन प्रति माह
01	सुरक्षा अधिकारी	दो (2)	रुपये 33,000/–
02	सहायक सुरक्षा अधिकारी	चार (4)	रुपये 30,400/–
03	सुरक्षा गार्ड	बीस (20)	रुपये 22,200/–
04	सिविल सुरक्षा गार्ड केवल विशेष परिस्थितियों में)	बीस (20)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (वर्तमान रुपये 309/– प्रति दिन)

उपरोक्त संख्या पूर्णतः तदर्थ है एवं समयानुसार/गतिविधियों अनुसार इसमें कमी/वृद्धि हो सकती है तथा उपरोक्त के अलावा आवश्यकतानुसार किसी अन्य श्रेणी का सुरक्षा कर्मियों की माँग करने पर फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को उपलब्ध कराना होगा जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से किया जाएगा।

सभी कार्मिकों का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा और भुगतान रजिस्टर की प्रति चैक नम्बर सहित बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म को उसके द्वारा लगाये जाने वाले प्रत्येक सुरक्षा कार्मिकों को प्रति माह 7 तारीख से पूर्व सुरक्षा कार्मिकों के बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

उपरोक्त वेतन के अतिरिक्त अधिकतम वेतन रुपये 15,000 प्रति माह पर 13.61 प्रतिशत पी.एफ. नियोक्ता अंशदान एवं प्रशासनिक व्यय तथा 4.75 प्रतिशत (कुल 21,000 वेतन पर) ई.एस.आई. नियोक्ता अंशदान का पुर्नभरण फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा अपने पी.एफ. कोड एवं ई.एस.आई. कोड में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा कराने पर तथा चालान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर देय होगा। जी.एस.टी. यदि लागू हो तो फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को सर्विस चार्जेज पर निर्धारित दर से राशि जमा करा कर चालान प्रस्तुत करने पर पुर्नभरित किया जाएगा। **पी.एफ. चालान के साथ प्रत्येक सुरक्षा कर्मी का पी.एफ. खाता संख्या, मजदूरी भुगतान, वेतन से काटी गई पी.एफ. राशि एवं नियोक्ता अंशदान जमा की पूर्ण विवरण पेश करने पर ही पी.एफ. एवं ई.एस.आई. नियोक्ता अंशदान का पुर्नभरण किया जाएगा।**

फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा सभी सुरक्षा कर्मी केवल भुतपूर्व सैनिक ही नियोजित किये जायेंगे। नियोजित किये गये भूतपूर्व सैनिकों का पूर्ण ब्यौरा एवं डिस्चार्ज प्रमाण पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र कार्यालय में पेश करना होगा।

सुरक्षा अधिकारी एवं सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद अत्यन्त महत्वपूर्ण पद है। इस पर आकर्षक व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य वाले भूतपूर्व सैनिक जो कम से कम जे.सी.ओ. एवं समकक्ष केडर के हो, को ही नियोजित करना होगा जो तीनों शिफ्टों में नियोजित सुरक्षा कर्मियों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखेंगे। अतिरिक्त कार्य अथवा आकस्मिक जाँच आदि हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान/अवकाश देय नहीं होगा।

1.15 सुरक्षा कर्मियों को संघ प्रशासन के निर्देशानुसार पारियों में नियोजित किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी सुरक्षा कर्मी को डबल ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में पूर्व अनुमति से ही किसी भी सुरक्षा कर्मी को डबल ड्यूटी करने की अनुमति दी जाएगी। सभी सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश देय होगा तथा साप्ताहिक अवकाश का भुगतान निर्धारित दर से 26 दिन की गणना करते हुए अलग से देय होगा।

1.16 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को 1000.00 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र हस्ताक्षर कर नोटरी पब्लिक से नॉटिफाई करवा कर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अपने ठेके को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही कर सकेगा।

1.17 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को मूल दस्तावेज माँगने पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य आदेश कम से कम **सात दिन पूर्व जारी किया जाएगा एवं फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को निर्धारित समय एवं तिथि को कार्य प्रारम्भ** करना होगा। अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहने पर उसकी जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

1.18 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के पास स्वयं का भविष्य निधि खाता संख्या, राज्य कर्मचारी बीमा कूट नम्बर होना अनिवार्य है। फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को माँगने पर पी.एफ./ई.एस.आई. निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के विरुद्ध 7 ए अथवा ई.एस.आई. एक्ट के प्रावधानों के तहत कोई वसूली की कार्यवाही लम्बित है तो उसका स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करना आवश्यक है।

1.19 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी भविष्य निधि अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम, शॉप एवं कार्मशियल एक्ट अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम एवं सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों की पालना करने, समयानुसार रिर्टन भरने एवं निरीक्षण कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। संघ का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा। **ठेकेदार को अन्तिम बिल एवं उसकी जमा अमानत राशि का भुगतान उक्त अधिनियमों के तहत क्लीन निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में पेश करने पर ही देय होगा। सुरक्षा कर्मियों की पी.एफ./ई.एस.आई. (यदि लागू हो) की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार संस्था की होगी। इस सम्बन्ध में संघ का कोई दायित्व नहीं** होगा।

1.20 **मूलतः ठेका एक वर्ष के लिए आवंटित किया जावेगा जो दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा इन्हीं शर्तों एवं दरों पर आगामी 1 वर्ष तक और बढाया जा सकेगा।** इस सम्बन्ध में **प्रबन्ध संचालक** का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। ठेकेदार इस सम्बन्ध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।

1.21 सुरक्षा फर्म/एँजेन्सी/कम्पनी की सेवायें सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में संध को अनुबन्ध अवधि के बीच में पर्याप्त नोटिस दे कर अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1.22 जी.एस.टी. यदि लागू है तो ठेकेदार को उसे बिल में अलग से दर्शाना होगा व उसके जमा चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर पुर्नभरण किया जा सकेगा।

1.23 **संघ में उपलब्ध समस्त कैनों/क्रेटों का भौतिक सत्यापन करवा कर सुरक्षा अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को सम्भला दिया जावेगा। तत्पश्चात् केन/क्रेट्स का पूरा हिसाब सुरक्षा कर्मियों को रखना होगा तथा साप्ताहिक/मासिक** आधार **पर भौतिक सत्यापन करवा कर विवरण प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के मासिक बिल का भुगतान किया जा सकेगा। क्रेटें/केनों में यदि कमी आती है तो** उसकी **जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी एवं उसकी वसूली सामयिक प्रभावी क्रय दर से अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी से की जावेगी।**

1.24 स्त्रोत पर आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं निर्धारित प्रमाण पत्र ठेकेदार को उपलब्ध कराया जावेगा।

1.25 फर्म/एजेन्सी/कम्पनी अनुबन्ध अवधि में ठेका छोडकर नहीं जा सकती है। यदि अनुबन्ध अवधि में फर्म/एजेन्सी/कम्पनी बीच में कार्य छोड़कर जाती है तो धरोहर राशि जब्त की जा कर संघ स्वीकृत अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के खर्चे/जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत की वसूली फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के बिल, नगद धरोहर राशि एवं बैंक गारन्टी से की जावेगी।

1.26 दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर प्रशासक या अध्यक्ष, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटा का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा। सफल निविदादाता को दुग्ध संघ का "स" श्रेणी का सदस्य बनना होगा।

1.27 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा सक्षम विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

1.28 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मी संघ प्रबन्धन के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे एवं उन पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण संघ प्रशासन का होगा। किन्तु किसी भी दृष्टि से वे संघ के कर्मचारी नहीं माने जावेंगे।

1.29 संघ प्रबन्ध के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों को पारियों में नियोजित किया जावेगा एवं संघ परिसर के अतिरिक्त उन्हें अन्य स्थान पर यथा प्रबन्ध संचालक आवास/चिलिंग प्लांट पर भी नियोजित किया जा सकेगा।

1.30 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को मासिक आधार पर संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रफार्मा मे बिल दो प्रतियों में एवं दो भागों में प्रस्तुत करना होगा प्रथम भाग में कार्मिकों को किये गए भुगतान की राशि के साथ मजदूरी भुगतान पंजिका की सत्यापित प्रति एवं फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को सर्विस चार्जेज का भुगतान किया जाएगा तथा द्वितीय भाग में पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान एवं जी.एस.टी. सम्बन्धित विभाग में जमा करने का बिल जिसके सत्यापन के बाद रेखांकित चैक द्वारा भुगतान किया जावेगा।

1.31 नियोजित सुरक्षा कर्मियों को संघ के निर्देशानुसार प्रति दिन 8 घण्टे कार्य करना होगा। कार्य निर्देशन एवं नियोजित सुरक्षा कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण संघ प्रबन्ध का होगा। तीनों शिफ्टों में नियोजित सुरक्षा गार्ड एवं सूपरवाईजर अलग अलग नियोजित किये जायेंगे एवं संघ द्वारा दिया गया ड्यूटी रोस्टर पूर्णतः पालन किया जावेगा।

1.32 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को निर्धारित संख्या में सुरक्षा कर्मी प्रति दिन उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित संख्या में उपलब्ध न कराने की स्थिति में प्रति दिन 100/– रुपये प्रति सुरक्षा कर्मी शास्ती आरोपित की जावेगी। इसके अतिरिक्त संघ अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की जोखिम एवं खर्चे पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा जिसकी लागत अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की बिल से वसूल किया जाएगा।

1.33 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित किये जाने वाले सुरक्षा कर्मी द्वारा निर्देशों का पालन न करने, असन्तोषपद्र सेवा/व्यवहार होने पर संघ के निर्देश पर तुरन्त सम्बन्धित सुरक्षा कर्मी को हटा कर अन्य सुरक्षा कर्मी को नियोजित करना होगा।

1.34 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित वर्दी में ही ड्यूटी करने की इजाजत होगी। वर्दी में न आने पर सुरक्षा कर्मी को ड्यूटी पर उपस्थित नहीं माना जावेगा।

1.35 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित वर्दी/जूते एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी। संघ का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा।

1.36 ड्यूटी हेतु आवश्यक स्टेशनरी, टार्च, कम्प्यूटर आदि संघ द्वारा अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को उपलब्ध करायें जावेंगे। इनके रख रखाव/सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेंदारी अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी।

1.37 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों के कार्य व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही, असन्तोषप्रद सेवा अथवा **किसी प्रकार से संघ परिसर में चोरी अथवा अन्य किसी प्रकार से** संघ सम्पत्ति **को नुकसान पहूँचता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी** की होगी। **सम्पत्ति की हानि की पूर्ण वसूली अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी के बिल से** की जावेगी एवं लापरवाही **के लिए प्रबन्ध संचालक के विवेकानुसार आर्थिक शास्ती भी आरोपित की जावेगी साथ ही अनुबन्ध समाप्ती की कार्यवाही की जा सकेगी। संघ सम्पत्ति की चोरी अथवा अवांछनीय घटना होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का होगा।**

हस्ताक्षर निविदादाता

1.38 संघ परिसर में दाखिल होने वाले प्रत्येक वाहन/व्यक्ति/सामान का पूर्ण रिकार्ड एवं संघ परिसर से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति/सामान/वाहन का पूरा रिकार्ड संधारण एवं जाँच करने की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की होगी।

1.39 चूँकि संघ एक व्यवसायिक संस्थान है, अतः अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियोजित सुरक्षा गार्ड कम से कम मिडिल स्तर तक शिक्षित हो एवं लिखत/पढत में सक्षम हों।

1.40 सुरक्षा कर्मियों को प्रति दिन 8 घण्टे कार्य करना होगा एवं साप्ताहिक अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश कम से कम 6 दिन कार्य करने पर ही देय होगा।

1.41 सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर तैनाती के समय यदि सोता हुआ पाया जाता है अथवा नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे तुरन्त संघ परिसर से बाहर कर दिया जावेगा एवं उसके स्थान पर अन्य सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी की होगी एवं ऐसी स्थिति में फर्म/एजेन्सी/कम्पनी पर शास्ती भी आरोपित की जाएगी।

1.42 सुरक्षा कर्मी संघ परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीति अथवा हडताल, प्रदर्शन आदि में भाग नहीं लेंगे एवं संघ स्टाफ/ठेकेदारों द्वारा हडताल आदि की परिस्थिति में सुरक्षा कर्मी संघ प्रशासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे।

1.43 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मी संघ परिसर में यदि कोई आग या अन्य प्राकृतिक प्रकोप हो तो उससे निपटने में हर सम्भव सहायता करेंगे।

1.44 सुरक्षा कर्मियों को प्रति दिन बदला नहीं जावेगा एवं अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी किसी अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों को नियोजित नहीं करेगा।

1.45 सफल अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को संघ की नाम मात्र की सदस्यता लेनी होगी एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

1.46 उपरोक्त के अतिरिक्त संघ प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी/नियोजित सुरक्षा कर्मियों को पालना करना होगा।

1.47 पी.एफ./ई.एस.आई./अन्य सम्बन्धित श्रम कानूनों की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा फर्म/एजेन्सी/कम्पनी पर होगा। इस सम्बन्ध में संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

1.48 अनुबन्धकर्ता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी को प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके पदाधिकारियों/सदस्यों/पार्टनर/डायरेक्टर का कोई नजदीकी रिश्तेदार कोटा दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी नहीं हैं एवं ना ही कोटा दुग्ध संघ में अन्य कोई ठेका उनके नाम आवंटित है।

1.49 भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सलंग्न करना अनिवार्य है।

प्रबन्ध संचालक

हस्ताक्षर निविदादाता

वित्तीय निविदा का प्रारूप

Validate Print Help

Rate BoQ

Tender Inviting Authority: KOTA ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SAMITI LTD.

Name of Work: Tender for arrangement of security services at Kota Dairy Plant

Contract No: KD/23-24/F.SECURITY/

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :			
PRICE SCHEDULE **(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)**			
Sl. No.	**Item Description**	**Units**	**Basic RATE In % excluding GST (To be entered by the Bidder) Rs. P**
1.01	मासिक बिल की कुल राशि (पी.एफ./ई.एस.आई/जी.एस.टी. राशि को छोडकर) के प्रतिशत के रूप में सर्विस चार्जेज की दर	दर प्रतिशत में	